

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर (म.प्र.)
(आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2024 में चतुर्थ संशोधन आदेश)

क्रमांक **503** / सी.जे.एम. / 2024

जबलपुर, दिनांक 16.12.2024

मैं आलोक प्रताप सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर, जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए पूर्व में जारी आपराधिक कार्य विभाजन आदेश दिनांक 29.05.2024 में प्रशासनिक कार्यव्यवस्था की दृष्टि से निम्नानुसार संशोधन करता हूँ, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं शेष आदेश यथावत रहेगा—

1— कार्यविभाजन आदेश के सरल क्र. 42 से लगायत सरल क्र. 57 को विलोपित कर निम्नानुसार नवीन सरल क्रमांक समाहित किये जाते हैं—

क्र	मजिस्ट्रेट	आरक्षी केन्द्र	क्षेत्राधिकार
42	श्रीमती शुभांगी पालो दत्त जे.एम.एफ.सी. जबलपुर		1— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
43	श्री डी.पी.सूत्रकार जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	अपराध थाना जबलपुर।	1— आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दंडिक प्रकरण, (महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आवेदन, परिवाद प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण को छोड़कर) परिवाद प्रकरण, धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आवेदन। 2— आरक्षी केन्द्र बरगी, सिविल लाईन से उदभूत (महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध से संबंधित परिवाद एवं ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो को छोड़कर) परिवाद प्रकरण, धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आवेदन एवं उक्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न खात्मा प्रकरण। 3— क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण। 4— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
44	श्री अरुण कुमार गौयल जे.एम.एफ.सी. जबलपुर।		1— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
45	सुश्री श्वेता खरे जे.एम.एफ.सी. जबलपुर		1— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
46	श्री जगमोहन सिंह जे.एम.एफ.सी. जबलपुर		1— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
47	श्री प्रियम कुमार सक्सेना जे.एम.एफ.सी. जबलपुर		1— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
48	सुश्री रीतिका विजय कुमार श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी. जबलपुर		1— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
49	श्री कमलेश बरवणियाँ जे.एम.एफ.सी. जबलपुर		1— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
50	श्री भरत परमार जे.एम.एफ.सी. जबलपुर		1— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
51	सुश्री निर्मला पटेल जे.एम.एफ.सी. जबलपुर		1— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
52	सुश्री निशा कुशवाहा जे.एम.एफ.सी. जबलपुर		1— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।

53	सुश्री अंजली राय जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
54	सुश्री श्रद्धा पटेल जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
55	सुश्री उर्वशी सूर्यवंशी जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।

- कार्यविभाजन आदेश के सरल कं. 15 (श्री देवस्थ सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर) के कॉलम कं. 03 से काइम ब्रांच विलोपित किया जाता है।
- कार्यविभाजन आदेश के सरल कं. 35 (श्रीमती नेहा तोमर सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर) के कॉलम कं. 04 से कण्डिका कं. 01 को विलोपित किया जाता है।
- कार्यविभाजन आदेश के सरल कं. 37 (श्री भूपेन्द्र सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर) के कॉलम कं. 04 से कण्डिका कं. 03 को विलोपित किया जाता है।
- कार्यविभाजन आदेश के अनुसूची कमांक 02 (महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों एवं लैंगिक अपराध से बालको का संरक्षण अधिनियम से संबंधित धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन अंकित किये जाने के संबंध में) के सरल कं 6 के कालम कं. 03 से श्रीमती नेहा तोमर सिंह जे.एम.एफ.सी. का नाम विलोपित कर सुश्री श्रेया शर्मा जे.एम.एफ.सी. प्रतिस्थापित किया जाता है एवं नोट कं. 03 से सुश्री श्रेया शर्मा जे.एम.एफ.सी. जबलपुर का नाम विलोपित किया जाता है।
- कार्यविभाजन आदेश के अनुसूची कमांक 01 के सरल कं. 41 से लगातार सरल क. 56 को पूर्ण रूप से विलोपित कर निम्नानुसार सरल कमांक प्रतिस्थापित किये जाते हैं-

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी	तृतीय प्रभारी	चतुर्थ प्रभारी
01	02	03	04	05	06
41	श्रीमती शुभांगी पालो दत्त	श्रीमती प्राची सिंह पटेल	श्री मनमोहन सिंह	श्री मृणाल मोहित	श्रीमती श्वेता खरे
42	श्री डी.पी.सूत्रकार	सुश्री श्वेता खरे	श्री अंशुल जैन	श्रीमती हर्षिता जैन	श्रीमती मीनाक्षी दंदेलिया खण्डेलवाल
43	श्री अरुण कुमार गोयल	श्री राहुल छत्री	श्री राकेश भिडे	श्रीमती मुनमुन सिंह	श्रीमती रिशा अहमद कुरैशी
44	सुश्री श्वेता खरे	श्री डी.पी. सूत्रकार	श्रीमती मीनाक्षी दंदेलिया खण्डेलवाल	श्रीमती हर्षिता जैन	श्रीमती अभिसारिका माहुँने
45	श्री जगमोहन सिंह	श्रीमती प्राची सिंह पटेल	श्री फरहान मसूद कुरैशी	सुश्री राखी साहू	श्रीमती हर्षिता जैन
46	श्री प्रियम कुमार सक्सेना	सुश्री निर्मला पटेल	सुश्री निशा कुशवाहा	श्री भरत परमार	श्री कमलेश बरवनियॉ
47	सुश्री रीतिका विजय कुमार श्रीवास्तव	श्री कमलेश बरवनियॉ	सुश्री अंजली राय	सुश्री श्रद्धा पटेल	सुश्री उर्वशी सूर्यवंशी
48	श्री कमलेश बरवनियॉ	सुश्री रीतिका विजय कुमार श्रीवास्तव	सुश्री उर्वशी सूर्यवंशी	सुश्री अंजली राय	सुश्री श्रद्धा पटेल

49	श्री भरत परमार	सुश्री निर्मला पटेल	सुश्री निशा कुशवाहा	श्री प्रियम कुमार सक्सेना	सुश्री रीतिका विजय कुमार श्रीवास्तव
50	सुश्री निर्मला पटेल	सुश्री निशा कुशवाहा	श्री प्रियम कुमार सक्सेना	श्री भरत परमार	सुश्री रीतिका विजय कुमार श्रीवास्तव
51	सुश्री निशा कुशवाहा	श्री प्रियम कुमार सक्सेना	सुश्री निर्मला पटेल	श्री प्रियम कुमार सक्सेना	श्री कमलेश बरवनियों
52	सुश्री अंजली राय	सुश्री उर्वशी सूर्यवंशी	सुश्री श्रद्धा पटेल	श्री कमलेश बरवनियों	श्री भरत परमार
53	सुश्री श्रद्धा पटेल	सुश्री अंजली राय	सुश्री उर्वशी सूर्यवंशी	सुश्री निर्मला पटेल	श्री प्रियम कुमार सक्सेना
54	सुश्री उर्वशी सूर्यवंशी	सुश्री श्रद्धा पटेल	सुश्री अंजली राय	श्री कमलेश बरवनियों	श्री भरत परमार

7. तहसील न्यायालय सिहोरा के संबंध में कार्यविभाजन आदेश के सरल क्रमांक 03 (श्रीमती तनुश्री शिवहरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिहोरा जबलपुर) को पूर्ण रूप से विलोपित किया जाता है।

8. तहसील न्यायालय सिहोरा के संबंध में कार्यविभाजन आदेश के सरल क्रमांक 01 (श्रीमती रेशमा खातून, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिहोरा जबलपुर) के कॉलम क्रमांक 03 में आरक्षी केन्द्र मझगावां समाहित किया जाता है।

9. तहसील न्यायालय सिहोरा के संबंध में कार्यविभाजन आदेश के सरल क्रमांक 04 (सुश्री उर्वशी यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिहोरा जबलपुर) के कॉलम क्रमांक 04 में निम्नानुसार कंडिका समाहित की जाती है-

5 तहसील न्यायालय सिहोरा के अन्तर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों के महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक एवं परिवाद प्रकरण, खात्मा प्रकरण (जिसमें पीडित महिला हो), घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रकरण, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 10 के अंतर्गत भरण पोषण के संबंध में प्रस्तुत प्रकरण एवं उक्त धाराओं के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद प्रकरण, धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आवेदन।

6 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 से 147 मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।

10. तहसील न्यायालय सिहोरा के संबंध में कार्यविभाजन आदेश के सरल क्रमांक 05 (सुश्री दीपशिखा दांगी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिहोरा जबलपुर) के कॉलम क्रमांक 04 में निम्नानुसार कंडिका समाहित की जाती है-

4- तहसील सिहोरा के समस्त आरक्षी केन्द्र से उदभूत आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण।

(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर

प्रतिलिपि:-

1. कार्यालय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर/पाटन/सिहोरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सचिव, जिला अधिवक्ता संघ, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।



(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर